दिल्ली में झुग्गी झोंपड़ी निवासी

2050. **श्री हुक्मदेव नारायण यादव** : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले लोगों की कुल संख्या कितनी है; और

(ख) झुग्गी झोंपड़ियों की कुल संख्या कितनी है और उनमें शौचालय, रोशनी तथा पेयजल जैसी सुविधाओं को प्रदान करने के लिये क्या व्यवस्था की गई है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा 1983–84 में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार दिल्ली में लगभग 5.6 लाख की कुल आबादी वाली 1,13,396 झुग्गियां थी । इसके बाद कोई व्यापक सर्वेक्षण नहीं किया गया है

इसके पूर्व लगभग 2 लाख झुग्गी-झोंपड़ी निवासियों को 1960 के बाद से उन पुनर्वास कालोनियों में बसाया गया था जहां उन्हें शौचालय, बिजली और जलपूर्ति जैसी सुविधाएं सामुदायिक स्तर पर मुहैया की गई थी।

जहां तक नए झुग्गी समूहों को शौचालय, बिजली और पेयजल जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने का संबंध है, झुग्गियों में पर्यावरणीय सुधार की एक प्लान स्कीम है जिसके अन्तर्गत दिल्ली विकास प्राधिकरण का चालू वित्तीय वर्ष में लगभग 60,000 झुग्गी निवासियों को लाभान्वित करने का प्रस्ताव है ।

सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के चीनी मिलों द्वारा गन्ना उत्पादकों का बकाया राशि का भुगतान

2051. **श्री हुक्मदेव नारायण यादव** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यवार उन गैर-सरकारी तथा सरकारी चीनी मिलों के नाम क्या हैं, जिन्हें गन्ना उत्पादकों को अभी भी बकाया राशि का भुगतान करना है और ये राशियां कब से बकाया चली आ रही हैं; और

(ख) क्या उनकी बकाया राशियों का सूद सहित भुगतान कराने का सरकार का प्रस्ताव है, यदि हां, तो कब तक ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) एक विवरण संलग्न है जिसमें सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र की चीनी मिलों के बारे में 15–10–1985 को राज्यवार और फैक्ट्रीवार गन्ने के मूल्य की बकाया राशि का ब्यौरा दिया गया है । [देखिए परिशिष्ट XXXVI, अनुपत्र संख्या 40]

(ख) गन्ने के मूल्य की बकाया राशि और ब्याज का भुगतान सुनिश्चित करना राज्य सरकारों की सीधी जिम्मेदारी है जिनके पास ऐसे भुगतान करवाने के लिये आवश्यक फील्ड संगठन और शक्तियां हैं। केन्द्रीय सरकार स्थिति पर निगाह रखती है और गन्ने के मूल्य की बकाया राशि का शीघ्र भुगतान करवाने के लिये समय-समय पर राज्य सरकारों को निदेश जारी करती है ।

केन्द्रीय सरकार अपनी ओर से पग उठा रही है जिनका उद्देश्य उद्योग की तरलता में सुधार करना है जिससे वे गन्ने की बकाया राशि का भुगतान कर सकें ।

केन्द्रीय और राज्य सरकारों के प्रयत्नों के फलस्वरूप, 1984–85 मौसम के लिए 1263 करोड़ रुपये की गन्ने के मूल्य की कुल बकाया राशि में से 15–10–85 तक लगभग केवल 26.75 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किया जाना बाकी है । 1983–84 मौसम के लिए अर्थात् 15–10–84 को तदनुरूपी बकाया राशि लगभग 46 करोड़ रुपये थी ।